

I/268356/2023

संख्या-3623/81-2-2022-800(176)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
३० प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक ३। जनवरी 2023

विषय- सीकर-॥ अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिंग (पावर ग्रिड कारपो० आफ इंडिया लिंग की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं०) अलवर-राजस्थान के द्वारा ७६५ के० वी० डी/सी सीकर-॥ अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-४९ की दांयी व बांयी दोनों पटरियों की ०.५२९३ हेतु संरक्षित वनभूमि एवं अलीगढ़ में ०.० हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/146255/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1971/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/146255/2021 दिनांक 12.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश 2019 के चैप्टर-४ के बिन्दु-४.३ में विहित व्यवस्था के अंतर्गत सीकर-॥ अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिंग (पावर ग्रिड कारपो० आफ इंडिया लिंग की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं०) अलवर-राजस्थान के द्वारा ७६५ के० वी० डी/सी सीकर-॥ अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-४९ की दांयी व बांयी दोनों पटरियों की ०.५२९३ हेतु संरक्षित वनभूमि एवं अलीगढ़ में ०.० हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाती है:-

1.	Legal status of the Forest land shall remain unchanged.
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over Degraded forest land with 10 years maintenance at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monocultures of any species may be avoided. No fast growing trees will be planted.
3.	Plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in ROW under Transmission line shall be taken up by Forest Department at the cost of User agency.
4.	The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5.	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
6.	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
7.	The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection), Act, 1986, if applicable.
8.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
9.	No labour camp shall be established on the forest land.
10.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
11.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, As per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
12.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
13.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
14.	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

15.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.
16.	The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the court orders provision rules regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
17.	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate. From time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.
20.	प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
21.	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, ३०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
22.	वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
23.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन०पी०वी० की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।
24.	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-1A-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की इष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
25.	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा।
26.	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
27.	प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
28.	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, ३०प्र० लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से संबंधित उपरोक्त शर्तें/प्रतिवधों (Terms & Conditions) के अनुपालन के संबंध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
29.	सम्पति प्रचलित व्यवस्था के अधीन शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की देयता के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 06-01-2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19-01-2022 का अनुपालन प्रस्तावक किया जायेगा।

30	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
31	प्रश्नगत विधिवत् स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, ३० प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी

भवदीय,

Date: 31-01-2023 15:29:14

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक अलीगढ़ एवं आगरा।
- (3)- जिलाधिकारी, अलीगढ़ एवं मथुरा।
- (4) प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक अलीगढ़ एवं मथुरा।
- (5)- वरिष्ठ महाप्रबन्धक पावरगिड अलीगढ़-सीकर ट्रान्समिशन लिओ अलवर राजस्थान।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव